

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स 3-5(4)स्थाना/अराजपत्रित/अभि/2016/ 231-245

जयपुर, दिनांक: 14.03.2023

आदेश

निम्न सहायक अभियोजन अधिकारीगण के पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विधि
1.	श्रीमती कंचन गहलोत सहा. अभि. अधिकारी	न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम पाली	न्यायालय एसीजे (जेडी) एम एम नं0 8 , जोधपुर	श्री पंकज के स्थान पर
2.	श्री पंकज अग्रवाल सहा. अभि. अधिकारी	न्यायालय एसीजे (जेडी) एम एम नं0 8 , जोधपुर	न्यायालय सीजे (जेडी) जेएम पाली	श्रीमती कंचन के स्थान पर
3.	श्री मुकेश करौल सहा. अभि. अधिकारी	एसीजे (जेडी) एम एम नं0 18, सांगानेर, जयपुर प्रथम (स्थानान्तरणाधीन)	एसीजे (जेडी) एम एम दक्षिण जयपुर महानगर, प्रथम	रिक्त पद पर

क्रम संख्या 1 पर अंकित स्थानान्तरण स्वेच्छिक हैं, इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
3. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
8. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

